

बिहार सरकार  
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन,  
अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-

फरवरी, 2026

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत विकास भवन, नया सचिवालय स्थित गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के तृतीय तल अंतर्गत कमरा संख्या-309 एवं 313 के कार्यालय कक्ष हेतु कुल मो० 65,37,800/- (पैसठ लाख सैतीस हजार आठ सौ) रु० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :-

स्वीकृत।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-135 दिनांक-22.01.2026 के आलोक में विकास भवन, नया सचिवालय, पटना स्थित गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के तृतीय तल अंतर्गत कमरा संख्या-309 एवं 313 में आधुनिकीकरण के कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल संख्या-01, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-526 दिनांक- 09.02.2026 के द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल समेकित राशि मो० 65,37,800/- (पैसठ लाख सैतीस हजार आठ सौ) रु० मात्र की मांग की गई है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना की विवरणी निम्न प्रकार हैं-

क्र०	विषय	राशि
1.	Renovation of Room No-309 and 313 of Sugercane Deptt. at 3 <sup>rd</sup> Floor (Civil Work and Furniture Work) at Vikash Bhawan, Patna	65,37,800.00

2. यह कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जायेगा तथा हस्तांतरण से पूर्व अथवा अन्य कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा:-

क. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया गया हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

ख. यह कार्य तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कराया गया है।

ग. कार्य का सघन पर्यवेक्षण भवन निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की ही होगी। प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

घ. संबंधित कार्यपालक अभियंता जब तक कि संबंधित कक्ष का पूर्ण आधुनिकीकरण का कार्य न हो जाय प्रगति प्रतिवेदन एवं तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन (अन्यथा अंतर की स्थिति में कारणका स्पष्ट उल्लेख करते हुए) के अनुरूप कार्य सम्पन्न हो जाने के उपरांत कार्य निष्पादन प्रतिवेदन भवन निर्माण विभाग के माध्यम से समर्पित किया जायेगा।

ड इस राशि का भुगतान संबंधी अग्रेतर कार्रवाई कार्यों के निष्पादन प्रतिवेदन के आलोक में सम्पन्न होगा।

3. इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग संख्या-03-मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य, उपमुख्य शीर्ष-01-कार्यालय भवन, लघु शीर्ष-053-रख-रखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष-0021-गन्ना उद्योग विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत, विपत्र कोड-03-2059010530021 अंतर्गत विषय शीर्ष-27 लघु कार्य-0017.27.02-अनुरक्षण एवं मरम्मत के अंतर्गत निर्धारित बजट उपबंध के अंतर्गत धारित होगा।

4. इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से होगी तथा नियंत्री पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998 में निकासी से संबंधित निदेश का अनुपालन करते हुए राशि का निकासी करेंगे।

6. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना से की जायेगी।

7. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटनादेश अलग से भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा।

8. संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या- 775 ह०

पटना, दिनांक 23 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल संख्या-01, पटना, भवन निर्माण विभाग, पटना के उनके पत्रांक-526 दिनांक-09.02.2026 के प्रसंग में/वित्त विभाग (वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Rare,  
23/02/26  
अवर सचिव।